

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2013 (आषाढ 19, 1935)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री –

(क) मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-13-2013-1-पांच (12), दिनांक 28 मार्च, 2013

(ख) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-12-2013-1-पांच(26), दिनांक 1 अप्रैल, 2013, तथा

(ग) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उप धारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(i) क्रमांक एफ-ए-3-16-2013-1-पांच (23), दिनांक 1 अप्रैल, 2013

(ii) क्रमांक एफ-ए-3-14-2013-1-पांच (25), दिनांक 1 अप्रैल, 2013

(iii) क्रमांक एफ-ए-03-14-2013-1-पांच (28), दिनांक 6 अप्रैल, 2013, तथा

(iv) क्रमांक एफ-ए-03-19-2013-1-पांच (32), दिनांक 7 जून, 2013

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश का प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट जिले के वनग्राम टोपला के आदिवासी परिवार पर वन कर्मियों द्वारा फर्जी प्रकरण बनाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अलकेश आर्य, सभापति, याचिका समिति का छत्तीसवां, सैतीसवां, अड़तीसवां, उन्तालीसवां, चालीसवां, इक्तालीसवां, बयालीसवां एवं तिरतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का नवम् प्रतिवेदन तथा सप्तम् एवं अष्टम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री विजयपाल सिंह राजपूत, सभापति, नियम समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के-

(क) ग्राम बघौली के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा

(ख) ग्राम पंचायत बघौली, गोडलिया मार्ग का डामरीकरण किये जाने,

(2) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य, बालाघाट जिले के-

- (क) ग्राम मोहनपुर के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम पाथरी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(3) श्रीमती नीता पटेरिया, सदस्य, सिवनी जिले के-

- (क) ग्राम उड़ेपानी के माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,
- (ख) ग्राम चमारी के हायर सेकेड्री स्कूल में विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाने,
- (ग) ग्राम लखनवाड़ा से संगई के बीच जोव नदी पर पुलिया निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम जैतपुर कला के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,
- (ड.) ग्राम मुगंवानी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा
- (च) ग्राम देवरी कला के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(4) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के-

- (क) ग्राम कुमारपाट में सामुदायिक मांगलिक भवन का निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम पंचायत खाकेड़ी के मजरा मांगोद में मांगलिक भवन निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम चिचोडिया में मांगलिक भवन निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम सलवा में मांगलिक भवन निर्माण किये जाने, तथा
- (ड) ग्राम पंचायत अमझेरा के खेड़ेवाला कब्रिस्तान की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किये जाने,

(5) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के:-

- (क) उत्तरी कारी से बिछारीपुरा, ककावनी से पाराखेरा, ककावनी से तिलपुरा, भगतपुरा, तिगैला से खेरामोहनगढ़ मार्गों का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) ग्राम बीरसागर से भमरौली, भमरौली से जतारपुरा, जेरा से ततारपुरा, के मार्गों का डामरीकरण कराये जाने,
- (ग) ग्राम मस्तापुरा, मालजीया, मोरगढ़, कखेरपुर, भेराना, जगतनगर, में नलजल योजना स्वीकृत किये जाने, तथा ग्राम ओरछा तिगैला से ओरछा मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने

(6) श्री चेताराम मानेकर, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम बारंगवाड़ी मे जलाशय का निर्माण किये जाने,

(7) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम बड़ेगांव के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. राजस्व मंत्री का वक्तव्य

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, दिनांक 8 मार्च, 2013 को पूछे गये अतारंकित प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 2389) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री, मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमाम्यकरण विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

8. वर्ष 2013-2014 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

“दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार चालीस करोड़, छियासी लाख, सैतालीस हजार, पांच सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय.”

2 घण्टे

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक 24 सन् 2013) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश धर्म-स्वातन्त्र्य (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 12 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा

(4) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश जल विनियमन विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 15 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(6) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 16 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(7) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(9) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 19 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(10) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(11) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 21 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(12) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(13) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क विधिमान्यकरण विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :

दिनांक : 9 जुलाई, 2013

राजकुमार पांडे

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा